**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं0 371**

**13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए**

**ve`r ;kstuk ds varxZr ifj;kstuk,a**

371- Jh lat; flag%

D;k vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ljdkj }kjk ve`r ¼,,evkj;wVh½ ;kstuk 'kgjh {ks=ksa esa ey&ty fudkl ds lqn`< usVodZ vkSj i;kZIr tykiwfrZ ds fy, volajpuk LFkkfir djus ds mís'; ls o"kZ 2015 esa 'kq: dh xbZ Fkh( ewy lwpuk fgUnh esa izkIr gqbZA

¼[k½ D;k ;g Hkh lp gS fd ikap o"kks± ;kfu o"kZ 2015 ls 2020 ds fy, jkT;ksa dh okf"kZd dk;Z ;kstukvksa ds varxZr 74]000 djksM+ #i;s dh 2400 ifj;kstukvksa dks vuqeksfnr fd;k x;k gS(

¼x½ ;fn gka] rks iwjh gks pqdh ifj;kstukvksa dh la[;k ds ekeys esa orZeku fLFkfr D;k gS( vkSj

¼?k½ bl ;kstuk ds varxZr izLrkfor izR;sd ifj;kstuk ij [kpZ dh xbZ /kujkf'k dk ifj;kstuk&okj] o"kZ&okj vkSj jkT;&okj C;kSjk D;k gS\

उत्तर

**आवासन और शहरी कार्य** राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

1. : जी हां ।
2. और (ग) : अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 35,990 करोड रूपये की केंद्रीय सहायता सहित 77,640 करोड रूपये की धनराशि के राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) का अनुमोदन किया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अमृत पोर्टल पर दिए गए ब्यौरे के अनुसार, 2,308 करोड रूपये की 993 पूर्ण परियोजनाओं समेत 78,979 करोड रूपये की धनराशि की 5,345 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) : मिशन के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को व्यक्तिगत परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, अनुमोदन और कार्यान्वयन करने का अधिकार दिया गया है। मंत्रालय अलग-अलग परियोजनाओं का अनुमोदन नहीं करता है लेकिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) का अनुमोदन करता है और मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय सहायता जारी करता है।

      अमृत के तहत, केंद्रीय सहायता 20:40:40 के अनुपात में तीन किस्तों में जारी की जाती है। पहली किस्त राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के अनुमोदन के बाद तत्काल तुरंत जारी की जाती है। केंद्रीय सहायता की दूसरी और तीसरी किस्तें 75% या उससे अधिक के लिए जारी किए उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) और स्वतंत्र समीक्षा एवं निगरानी एजेंसी (आईआरएमए) की रिपोर्ट और कुछ अन्य ब्यौरे के साथ समनुरूप राज्य अंशप्रस्तुत किए जाने के बाद जारी की जाती हैं।

 अब तक अमृत के तहत अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के प्रति परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 10,473 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं। धनराशि आवंटन और परियोजना कार्यान्वयन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न है।

-----

दिनांक 13.12.2018 के लिए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं. 371 के भाग (घ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुलग्‍नक

कुल राशि करोड़ रू0 में

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र** | **अनुमोदित एसएएपी** | **जारी केन्‍द्रीय सहायता**  | **पूर्ण परियोजनाएं** | **परियोजनाएं जिनके लिए संविदा प्रदान की गई और कार्य प्रगति पर है**  | **परियोजनाएं जिनके लिए एनआईटी जारी किया गया**  | **परियोजनाएं जिनके लिए डीपीआर अनुमोदित की गई और एनआईटी जारी की जानी है** | **आरंभ की गई कुल परियोजनाएं**  |
|  |  | **क** | **ख** | **ग** | **घ** | **ड.** | **च** | **ग+घ+ड.+च** |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 10.82 | 2.21 | 1 | 6 |  | 4 | 11 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 2890.17 | 528.3 | 509 | 2,678 | 144 | - | 3,331 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 140.25 | 25.25 |  | 15 | 50 | 50 | 115 |
| 4 | असम | 657.14 | 73.23 |  |  | 3 | 337 | 340 |
| 5 | बिहार | 2469.77 | 232.96 |  | 2,029 | 161 | 187 | 2,377 |
| 6 | चंडीगढ़ | 95.07 | 26.95 | 6 | 30 | 1 | 1 | 38 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 2192.76 | 407.9 | 37 | 1,917 | 658 | 22 | 2,634 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 10.82 | 2.16 |  | 41 |  | - | 41 |
| 9 | दमन और दीव | 18.03 | 3.6 |  | 17 |  | - | 17 |
| 10 | दिल्ली | 802.31 | 160.46 | 20 | 495 |  | 274 | 789 |
| 11 | गोवा | 209.18 | 20.91 | 14 | 23 | 24 | 44 | 105 |
| 12 | गुजरात | 4884.42 | 414 | 390 | 3,152 | 741 | 636 | 4,919 |
| 13 | हरियाणा | 2565.74 | 152.9 | 72 | 2,145 | 87 | - | 2,304 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 304.52 | 54.81 | 19 | 149 | 11 | 37 | 216 |
| 15 | जम्मू-कश्मीर | 593.05 | 265.15 | 29 | 447 | 37 | 19 | 532 |
| 16 | झारखंड | 1245.74 | 113.23 | 7 | 1,605 | 1 | 1 | 1,614 |
| 17 | कर्नाटक | 4952.87 | 1,141.87 | 81 | 4,490 | 636 | 36 | 5,243 |
| 18 | केरल | 2359.38 | 232.24 | 16 | 1,360 | 761 | 693 | 2,830 |
| 19 | लक्षद्वीप | 3.61 | 0.73 |  | 1 |  | 1 | 2 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 6200.67 | 1,471.29 | 214 | 6,133 | 83 | 14 | 6,444 |
| 21 | महाराष्ट्र | 7759.32 | 706.81 | 34 | 6,895 | 953 | 123 | 8,005 |
| 22 | मणिपुर | 180.31 | 32.46 | 1 | 207 |  | 3 | 211 |
| 23 | मेघालय | 80.14 | 8.91 |  | 5 |  | 0 | 5 |
| 24 | मिजोरम | 140.25 | 74.44 | 21 | 40 | 26 | 47 | 134 |
| 25 | नागालैंड | 120.22 | 21.63 | 1 | 34 |  | 20 | 55 |
| 26 | ओडिशा | 1598.96 | 394.15 | 231 | 1,427 | 73 | - | 1,731 |
| 27 | पुडुचेरी | 64.91 | 12.98 | 0 | 16 | 14 | 22 | 52 |
| 28 | पंजाब | 2766.62 | 240.89 | 71 | 263 | 801 | 255 | 1,390 |
| 29 | राजस्थान | 3223.94 | 576.7 | 67 | 2,926 | 197 | 34 | 3,224 |
| 30 | सिक्किम | 40.06 | 7.21 | 1 | 23 |  | 5 | 29 |
| 31 | तमिलनाडु | 11194.78 | 951.31 | 258 | 5,230 | 6,100 | - | 11,588 |
| 32 | तेलंगाना | 1666.26 | 166.52 | 122 | 1,524 |  | 15 | 1,661 |
| 33 | त्रिपुरा | 148.25 | 26.68 |  | 12 | 117 | - | 129 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 11421.67 | 984.49 | 46 | 3,826 | 2,413 | 6,146 | 12,431 |
| 35 | उत्तराखंड | 593.02 | 106.75 | 14 | 333 | 55 | 58 | 460 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 4035.00 | 831 | 26 | 3,023 | 339 | 584 | 3,972 |
|   | **कुल** | **77,640** | **10,473.08** | **2,308** | **52,518** | **14,488** | **9,665** | **78,979\*** |

नोट:

1. दिनांक 05.12.2018 की स्‍थिति के अनुसार
2. कुछ राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों ने अनुमोदित एसएएपी के आकार से अधिक परियोजनाएं आरंभ्‍ं की हैं । ऐसे मामलों में, समग्र अतिरिक्‍त लागत संबंधित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र द्वारा वहन की जाएगी ।